राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर ।

क्रमांक–नर्सिंग/एनआरएचएम/09/180 दिनांक– 3/6/09

समस्त
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान ।

विषय – एन0आर0एच0एम0योजना के तहत पूर्व में चयन के बावजूद कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी सामने आये हैं, जिनका चयन एन0आर0एच0एम0 योजना के तहत प्रथम अथवा द्वितीय चरण में जी0एन0एम0 के पद हेतुं किया गया था, किन्तु अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा अपनी उपस्थिति अनेकानेक कारणों से प्रस्तुत नहीं की थी । इनमें से अनेक अभ्यर्थियों द्वारा फरवरी 2009 में जारी राज्यस्तरीय वरीयता सूची में नाम आने के बाद कार्य ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की थी ।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0बी0सिविल रिट पिटिशन संख्या 1667/09 रामनिवास बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 28–5–09 पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को अब कार्य ग्रहण कराने की अनुमति नहीं दी जावे । निदेशालय द्वारा उक्त आदेश की पालना में निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब ऐसे अंभ्यर्थियों को नये सिरे से जिला आवंटित करने की कार्यवाही नहीं की जावेगी ।

इसी क्रम में सभी जिला कार्यालयों को भी निर्देशित किया जाता है कि यदि इनमें से कोई अभ्यर्थी सीधे आपके यहॉ भी सम्पर्क करता है तो उसे किसी भी स्थिति में कार्य ग्रहण नहीं करावें, अन्यथा माननीय न्यायालय आदेश की अवमानना की समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ।

अति0निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–नर्सिंग/एनआरएचएम/09/180 दिनांक– 3/6/09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राज0 जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर ।
3. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0 ।
4. सलाहकार (विधि) मुख्यालय ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय ।
6. रक्षित पत्रावली ।

अति0निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर